पत्रांक-भवन/बजट-65-योजना(विधि)-03/2022-23. . . . .10600(7)

बिहार सरकार

भवन निर्माण विभाग।

सेवा में,

महालेखाकार (ले एवं हक), बिहार,

वीरचन्द पटेल पथ, पटना।

पटना,दिनांक:- 12/11/26

विषय:- विधि विभाग से संबंधित योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु वर्त्तमान **वित्तीय वर्ष 2026-27** में कुल राशि **₹ 5,11,95,936/- (पॉच करोड़ ग्यारह लाख पंचानवे हजार नौ सौ छत्तीस रूपये)** मात्र के व्यय की स्वीकृति ।

आदेश:- स्वीकृत ।

कार्यपालक अभियंता द्वारा PMIS के माध्यम से समर्पित अधियाचना पर संबंधित अधीक्षण अभियंता एवं मुख्य अभियंता द्वारा की गयी अनुशंसा के आलोक में विधि विभाग से संबंधित योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु निम्न विवरणी के अनुसार कुल **₹ 5,11,95,936/- (पॉच करोड़ ग्यारह लाख पंचानवे हजार नौ सौ छत्तीस रूपये)** मात्र के व्यय की स्वीकृति **वित्तीय वर्ष 2026-27** में प्रदान की जाती है :-

क्रमांक	प्रमंडल का नाम	अधियाचना आई०डी०	योजना का नाम	स्वीकृत्यादेश संख्या/ दिनांक	वित्तीय वर्ष 2026-27 में व्यय हेतु स्वीकृत राशि
01.	संरचना प्रमंडल सं०-02, पटना	35059	Construction work of various multi-storey buildings (such as Administrative and IT Building, Auditorium and ADR Building, Multi-level Car Parking, Type-B, Type-C and Type-D residential building, High Side Service Building etc.) in the Hon'ble High Court, Patna campus, Patna, Bihar	3187/ 22.05.25	50000000 (पॉच करोड़ रूपये)
02.	उच्च न्यायालय भवन प्रमंडल, पटना	34286	Supply of Various gym, yoga equipment, power recliner, sauna, gym trainer and miscellaneous civil works at Centenary Building of Patna High Court, Patna for the year 2022-23	8047/ 20.09.22	1195936 (ग्यारह लाख पंचानवे हजार नौ सौ छत्तीस रूपये)
			कुल राशि		51195936

(पॉच करोड़ ग्यारह लाख पंचानवे हजार नौ सौ छत्तीस रूपये)

2. उक्त कार्य पर राशि का व्यय मांग संख्या-03 के मुख्यशीर्ष-4059-लोक निर्माण कार्य पर पूॅजीगत परिव्यय, उपमुख्यशीर्ष-60-अन्य भवन, लघुशीर्ष-051-निर्माण, उपशीर्ष-0121-पटना उच्च न्यायालय का विस्तारीकरण, **विपत्र कोड-03-4059600510121** के विषयशीर्ष-53-मुख्य कार्य-0121.53.01-मुख्य निर्माण कार्य अन्तर्गत वर्त्तमान वित्तीय वर्ष 2026-27 में किया जायेगा।
3. इस राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित कार्यपालक अभियंता, भवन निर्माण विभाग होंगे ।
4. इस राशि की निकासी निर्माण भवन कोषागार, विश्वेश्वरैया भवन, नेहरू पथ, पटना से की जायेगी ।
5. प्रस्ताव में आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति एवं सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है ।
6. स्वीकृत राशि के विरूद्ध आवंटन की कार्रवाई सी.एफ.एम.एस. के माध्यम से की जा रही है।

(राजेश कुमार सिंह)
सरकार के अपर सचिव।